(184)

Ralamandal WLS

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम. पी. 2 डब्ल्यू-पी/505/98.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 2/पी-122/9

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 1998—भाद्र 5, शक 1920

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 1998

क्र. एफ. 14-बीस-88-10-2.—चूंकि राज्य शासन का यह मत है कि नीचे दी गयी अनुसूची में विनिर्दिष्ट आरक्षित वन क्षेत्र वन्य प्राणियों तथा उनके रहवास/परिस्थितिकी के संरक्षण, विस्तार तथा विकास के प्रयोजन के लिये पर्याप्त महत्व का है. अत: राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस क्षेत्र को वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 1991) की धारा 26-अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 'रालामंडल अभयारण्य' जिला इन्दौर के रूप से अधिसूचित करता है :—

अनुसूची

सम्मिलित क्षेत्र :

1.	जिला	—	इन्दौर
2.	वन मंडल	—	इन्दौर
3.	अभयारण्य का नाम	—	रालामंडल अभयारण्य
4.	तहसील	—	इन्दौर
5.	वन परिक्षेत्र	—	इन्दौर
6.	वन खण्ड	—	रालामंडल आरक्षित वनखण्ड
7.	कक्ष क्रमांक	—	260
8.	अभयारण्य का क्षेत्रफल	—	234.550 हेक्टेयर

सीमाएं :

1. उत्तर.—इन्दौर वन मंडल के आरक्षित वन खंड रालामंडल की सीमा का मुनारा क्र. 4 से 10 जो वन खंड सीमा को ग्राम मुन्डला नायता तथा सनावदिया से अलग करता है.

2. पूर्व.—इन्दौर वन मंडल के आरक्षित वन खंड रालामंडल की सीमा का मुनारा क्र. 10 से 25 जो वन खंड सीमा को ग्राम सनावदिया एवं बिहाड़िया से अलग करता है.

3. दक्षिण.—इन्दौर वन मंडल के आरक्षित वन खंड रालामंडल की सीमा का मुनारा क्रमांक 25 से 39 एवं 1 जो वन खंड सीमा को ग्राम गिरजापुर एवं रालामंडल से अलग करता है.

4. पश्चिम.—इन्दौर वन मंडल के आरक्षित वन खंड रालामंडल की सीमा का मुनारा क्रमांक 1 से 4.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 1998

क्र. एफ. 14-बीस-88-10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा इस विभाग की उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र अग्रवाल, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th August 1998

No. F. 14- XX-88-10-2.—Whereas the State Government considers that the area specified in the scheduled below is of adequate significance for the purpose of the protection, propogation and development of wildlife and it's habitat/ ecology, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 20-A of the Wildlife Protection Act (as amended in 1991), the State Government hereby finally notifies the said area from the date of Notification as 'Ralamandal Sanctuary' District Indore.

SCHEDULE

Area included :

1.	District	—	Indore
2.	Forest Division	—	Indore
3.	Name of the Sanctuary	—	Ralamandal Sanctuary
4.	Tahsil	—	Indore
5.	Forest Range	—	Indore
6.	Name of the Block	—	Ralamandal Reserved Forest Block
7.	Compartment No.	—	260
8.	Area of the Sanctuary	—	234.550 ha.

Boundaries :

North.—The boundary pillar Nos. 4 to 10 of Reserved Forest Block Ralamandal of Indore Division, which seperate the block from the villages Mundla-Nayata and Sanavadia.

East.—The boundary pillar Nos 10 to 25 of Reserved Forest Block Ralamandal of Indore Division, which seperate the block from the villages Sanavadia and Bihadia.

South.—The boundary pillar Nos. 25 to 39 and 1 of Reserved Forest Block Kalamandal of Indore Division, which seperate the block from the villages Mirzapur and Ralamandal.

West.—The boundary pillar Nos. 1 to 4 of Reserved Forest Block Ralamandal of Indore Division.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
JITENDRA AGRAWAL, Addl. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1998.